



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 509]  
No. 509]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 14, 1989/भाद्रपद 23, 1911  
NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 14, 1989/SRAVANA 23, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a  
separate compilation

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 1989

का.आ. 643(अ) :—संविधान की धारा 239 के अनुच्छेद (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्वारा यह निर्देश देते हैं कि उनके नियंत्रणाधीन और आगामी आदेशों तक सभी संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक भी (चाहे वह उप-राज्यपाल, मुख्य आयुक्त अथवा प्रशासक के नाम से जाने जाते हों) अपने अपने संघ राज्य क्षेत्रों के संदर्भ में सती (निवारण) अधिनियम, 1987 (1988 का 3) और इसके अधीन बनाये गये नियमों के अन्तर्गत राज्य सरकार की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वाह करेंगे।

[सं. यू.-11030/3/88-यू.टी.एल.]

अशोक नाथ, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF HOME AFFAIRS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 14th August, 1989

S.O. 643 (E).—In exercise of powers conferred by clause (1) of article 239 of the Constitution, the President hereby directs that subject to the control of the President and until further orders, the Administrator of all the union territories (whether known as Lieutenant Governor, Chief Commissioner or Administrator) in relation to their respective union territories, shall also exercise the powers and discharge the functions of the State Government under the Commission of Sati (Prevention) Act, 1987 (3 of 1988) and Rules made thereunder.

[No. U-11030/3/88-UTL]

ASHOK NATH, Jt. Secy.